



संख्या- 148/2026/71पी/26-27-सिं0-4/002-244-डब्ल्यू-परि0-2024-सीएन-1846333

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 11 मार्च, 2026

विषय: जनपद महाराजगंज में मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के कि0मी0 18.900 से कि0मी0 19.710 एवं कि0मी0 21.710 से कि0मी0 22.360 तथा कि0मी0 23.800 से 24.500 तक बायें एवं दायें बैंक के आन्तरिक स्लोप के क्षतिग्रस्त भाग की लाईनिंग के पुनरोद्धार की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2230/1675/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 30 जनवरी, 2026 तथा शासनादेश संख्या-688/2024/667पी/24-27-सिं0-4-/001-244-डब्ल्यू-परि0-2024, दिनांक 27.12.2024 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद महाराजगंज में मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के कि0मी0 18.900 से कि0मी0 19.710 एवं कि0मी0 21.710 से कि0मी0 22.360 तथा कि0मी0 23.800 से 24.500 तक बायें एवं दायें बैंक के आन्तरिक स्लोप के क्षतिग्रस्त भाग की लाईनिंग के पुनरोद्धार की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनु0 सं0-94 सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य) पूंजीलेखा पक्ष के लेखाशीर्षक-4700-36-051-10-14-24 के अन्तर्गत उक्त परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 1050.00 लाख के सापेक्ष अवशेष संपूर्ण धनराशि रु0 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) परियोजना के कार्यों हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र एवं कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) उक्त परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराया जाना सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700360511014 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या- 148(1)/2026/71पी/26-27-सिं0-4/002-244-डब्ल्यू-परि0-2024-सीएन-1846333,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना),सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
- 5- मुख्य अभियन्ता(गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
- 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर,उ0प्र0।
- 8- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
- 10- नियोजन अनुभाग-3
- 11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव।